



AD/Trg-1

Haryana Industrial Training Directorate,
Headquarters: Chandigarh

तत्काल/तिथिबद्ध
सेवा में

प्रधानाचार्य,
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, (महिला) अम्बाला शहर।

यादी कमांक T-4/CM/Grievances/SC/Stipend/2015-16/Trg.-1/
दिनांक:-

विषय:- पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति देने हेतु मार्गदर्शन बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र क0 2653-54 दिनांक 22.8.2016 के सन्दर्भ में।

Centre of Excellence स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न सैक्टर में जिन छात्र/छात्राओं ने BBBT और Advance Module में लगातार प्रशिक्षण ग्रहण किया है। वह सभी अनुसूचित जाति के छात्र/छात्रा पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के पात्र होंगे। भारत सरकार के Training Manual की हिदायतों के अनुसार सम्बंधित छात्र/छात्रा की हाजरियों 80 प्रतिशत होनी अनिवार्य है।

8d

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हरियाणा।

पृ0क0 T-4/CM/Grievances/SC/Stipend/2015-16/Trg.-1/ 8223 दिनांक: 8/9/16
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा।
2. सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा सभी प्रधानाचार्य/वर्ग अनुदेशक इन्चार्ज (महिला), राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), (हरियाणा राज्य में)।
3. सभी जिला स्तर के प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी (हरियाणा राज्य में)।
4. Central D.D.O.P.M.S/Dy. Director(Acct.) H.Q
5. Joint Director (Audit & Planning).
6. नोडल अधिकारी, वैबसाईट, विभागीय वैबसाईट पर डालने हेतु।

Manoj Saini
8/9/16

सहायक निदेशक (प्रशिक्षण-1)
कृते: निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग
हरियाणा।